

प्रेस नोट दिनांक-17.07.2022

(1). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में मादक पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर श्री दीपेंद्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक श्री पवन प्रधान तथा उनकी टीम द्वारा वाजपेयी तिराहा कस्बा राजापुर से वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त रामकेश पुत्र नत्थू प्रसाद निवासी अमवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को मोटरसाइकिल न0 UP96 M 5846 से 02 किलोग्राम सुखा गांजा ले जाते समय गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस न0 UP96 M 5846 को धारा 207 M.V.Act में सीज की गयी।

बरामदगी:-

02 किलोग्राम सुखा गांजा नाजायज

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उपनिरीक्षक श्री पवन प्रधान थाना राजापुर
2. उ0नि0 श्री सूबेदार बिंद
3. आरक्षी अंकित शुक्ला
4. आरक्षी विजय पटेल

(2). आज दिनांक-16.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(3). आज दिनांक 16.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने बाजार, स्कूलों, बस स्टैंड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए

(4). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा श्री नागेन्द्र कुमार नागर के मार्गदर्शन में उ०नि० श्री सत्यमपति त्रिपाठी तथा उनकी टीम द्वारा मु०अ०सं० 275/07 मु०नं० 85 /14 धारा 323/354/504/506 भादवि० के वारंटी अभियुक्त शिवशरन पुत्र जगजीवन निवासी देऊंधा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ०नि० श्री सत्यमपति त्रिपाठी थाना रैपुरा
2. आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार